

न्यायमूर्ति के. सी. पुरी के समक्ष

अनिल कुमार-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य ~उत्तरदाता

2001 का सीआरए-एस-नंबर 1409-एसबी

फ़रवरी 2013

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 – धारा 7 - मिट्टी का तेल - बिक्री-अपीलकर्ता एक डिपो धारक को काले रंग में मिट्टी का तेल बेचते हुए पाया गया - मैटाडोर से मिट्टी के तेल के पांच ड्रम मिले - अपीलकर्ता बचने में कामयाब रहा - सह-आरोपी मौके पर गिरफ्तार - ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसके सह-अभियुक्त को बरी कर दिया - अपील दायर की गई - अनुमति दी गई - अभिनिर्णीत, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिक्री के लिए था - ड्रम का स्रोत साबित नहीं हुआ - अपील की अनुमति दी गई - अपीलकर्ता बरी कर दिया गया।

अभिनिर्णीत किया गया कि आरोपी अनिल, डिपो होल्डर दिनांक 11.1.1994 को कथित तौर पर मिट्टी का तेल ब्लैक में बेच रहा था और गुप्त सूचना के अनुसार वह पंजीकरण संख्या डीईडी-5765 वाली मैटाडोर में कुछ मिट्टी का तेल ले जा रहा था और उसे पकड़ा जा सकता था। आरोपी अनिल भागने में कामयाब रहा, जबकि मैटाडोर को आरोपी प्रदीप द्वारा चलाया गया पाया गया और तलाशी लेने पर उस मैटाडोर द्वारा मिट्टी के तेल के पांच ड्रम ले जाए गए।

(पैरा 2)

आगे अभिनिर्णीत किया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रदीप कुमार से बरामद मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिक्री के लिए था। अनिल कुमार द्वारा कालाबाजारी में मिट्टी का तेल बेचने के गवाह रहे राज कुमार (पीडब्लू-2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और मुकर गया। किसी अन्य गवाह ने यह नहीं कहा है कि उसने अनिल कुमार को काला बाजार में मिट्टी का तेल बेचते देखा है। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष ने यह रिकॉर्ड पेश नहीं किया है कि उसके डिपो के लिए मिट्टी का तेल जारी किया गया था।

(पैरा 20)

आगे अभिनिर्णीत किया गया कि अन्यथा भी अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मिट्टी के तेल को सफ़ीदों से पानीपत ले जाया जा रहा था। याचिकाकर्ता पानीपत में डिपो होल्डर था। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए याचिकाकर्ता को आवंटित मिट्टी का तेल पानीपत में

वसूली की तुलना में बेचा गया होता। अभियोजन पक्ष ने प्रदीप कुमार के पास से बरामद किए गए पांच ड्रमों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश नहीं की है।

(पैरा 21)

आगे अभिनिर्णीत किया गया कि उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराते समय भौतिक बिंदु की अनदेखी की है। नतीजतन, अपील स्वीकार कर ली जाती है।

(पैरा 24)

राजीव कटारिया, अधिवक्ता, *अपीलकर्ता के लिए*

मनदीप सिंह, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

न्यायमूर्ति के.सी. पुरी

(1) अनिल कुमार-अभियुक्त-अपीलकर्ता ने श्री हरि परन सिंह, विद्वान विशेष न्यायाधीश, पानीपत द्वारा पारित दिनांक 10.11.2001 के निर्णय और आदेश दिनांक 13.11.200 के खिलाफ वर्तमान अपील का निर्देश दिया है, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता-अनिल कुमार को आवश्यक वस्तु अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया गया और दो साल की अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 2000/- का जुर्माना अदा करने और जुर्माना अदा करने में चूक करने पर तीन महीने के कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि आरोपी प्रदीप कुमार को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया।

(2) संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त अनिल, डिपो होल्डसीआर दिनांक 11-01-1994 को कथित रूप से ब्लैक में मिट्टी का तेल बेच रहा था और उस गुप्त सूचना के अनुसार वह पंजीकरण संख्या डीईडी-5765 वाले मैटडोर में कुछ मिट्टी का तेल ले जा रहा था और उसे पकड़ा जा सकता था। इसलिए एएसआई हरि सिंह, प्रभारी पुलिस चौकी मतलौढ़ा द्वारा नाका लगाया गया। अन्य पुलिस अधिकारी चंदर सिंह एचसी, प्रेम सिंह एचसी, कांस्टेबल रवि सिंह और कांस्टेबल रतन सिंह और तारा सिंह निरीक्षक खाद्य और आपूर्ति विभाग भी उनके साथ थे और जब उक्त मैटडोर को देखा गया, तो उसे रेलवे फाटक सफ़ीदों मतलौढ़ा रोड पर रोक दिया गया। आरोपी अनिल भागने में कामयाब रहा, जबकि मैटडोर को आरोपी प्रदीप द्वारा चलाया पाया गया और तलाशी लेने पर उस मैटडोर द्वारा डिब्बाबंद मिट्टी के तेल के पांच ड्रम पाए गए। उक्त ड्रमों को पूरी तरह से मिट्टी के तेल से भरा गया था और प्रत्येक ड्रम से तीन बोतलें नमूने के रूप में ली गई थीं और सील एचएस के साथ अलग से सील की गई थीं। ड्रम, नमूने और मैटडोर को कब्जे में ले लिया गया। उपयोग के बाद सील निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति तारा सिंह को सौंप दी गई। आरोपी प्रदीप केरोसिन तेल को अपने पास रखने के लिए कोई परमिट या लाइसेंस पेश नहीं कर सका और

उसने बताया कि यह आरोपी अनिल का है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7/10/55 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियुक्त प्रदीप को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया जबकि आरोपी अनिल को भी 27.1.1994 को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन अग्रिम जमानत के मद्देनजर रिहा कर दिया गया। आवश्यक जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया था।

(3) आरोपी की उपस्थिति पर, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उनकी प्रतियां आरोपी को मुफ्त में दी गईं।

अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप आरोपी को दिया गया था, जिसके लिए आरोपी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।

(4) अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने इंस्पेक्टर बृज बिहारी, खाद्य और आपूर्ति एएस (पीडब्लू-1), राज कुमार, उपभोक्ता (पीडब्लू-2), आईआईसी चंदर सिंह (पीडब्लू-3), पीके शर्मा, एपीएसओ एएस (पीडब्लू-4), पारा सिंह भी (पीडब्ल्यू-5), एएसआई हरि सिंह, जांच अधिकारी (पीडब्लू-6) के रूप में पूछताछ की है और इसके साक्ष्य को बंद कर दिया।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में - सीआरपीसी) के तहत दर्ज बयानों में आरोपी प्रदीप ने दलील दी कि वह निर्दोष है। विचाराधीन मैटाडोर का स्वामित्व बेअंत सिंह के पास था, जो एक सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक थे। वह इस मैटाडोर का इस्तेमाल किराए के शुल्क पर सामान को एक स्थान से दूसरी जगह लाने के लिए करता था। इस घटना से कुछ दिन पहले वह इस मैटाडोर पर उक्त बेअंत सिंह द्वारा ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। बेअंत सिंह इस मैटाडोर के लिए बुकिंग करता था और किराया शुल्क स्वीकार करता था और आरोपी को मैटाडोर में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करता था। 11.1.1994 को सुबह बेअंत सिंह ने उन्हें उस स्थान से पानीपत में पांच ड्रम लाने के लिए मैटाडोर को सफ़ीदों ले जाने का निर्देश दिया और उन्हें यह भी बताया कि उन्हें किराया शुल्क प्राप्त हो गया है और ड्रम का मालिक सफ़ीदों में होगा और ड्रम के साथ मैटाडोर में उनके साथ जाएगा। अपने निर्देशानुसार वह मैटाडोर को सफ़ीदों ले गया जहां उनके मालिक के साथ पांच ड्रम मौजूद थे। वह चाय लेने गया और इस बीच मालिक ने ड्रम को मैटाडोर में लोड किया और जब वह वापस आया तो वह उसके साथ मैटाडोर में आगे की सीट पर बैठ गया। वह ड्रम के मालिक के साथ पानीपत के लिए चल पड़े और पुलिस के इशारे पर मतलौधा के पास उन्होंने तुरंत मैटाडोर को रोक दिया और उसी समय उन ड्रमों का मालिक नीचे आकर खिसक गया। पुलिस अधिकारियों ने उन ड्रमों को उतार दिया और उन्हें बताया कि उन ड्रमों में मिट्टी का तेल था। इससे पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन ड्रमों में

मिट्टी का तेल था। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

(6) आरोपी अनिल कुमार ने अभियोजन पक्ष के सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और वह मौके पर मौजूद नहीं था। मिट्टी का तेल उसका नहीं था। वह सफ़ीदों में डिपो धारक नहीं था। किसी भी आरोपी के नेतृत्व में कोई बचाव साक्ष्य नहीं था।

(7) विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद अभियुक्त-अनिल कुमार को दिनांक 10.11.2001 के निर्णय के तहत दोषी ठहराया और दिनांक 13.11.2001 के आदेश के तहत पूर्वोक्त रूप में सजा सुनाई, जबकि आरोपी प्रदीप कुमार को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।

(8) पूर्वोक्त निर्णय दिनांक 10.11.2001 और दिनांक 13.11.2001 के आदेश से असंतुष्ट महसूस करते हुए, वर्तमान आपराधिक अपील अभियुक्त/अपीलकर्ता-अनिल कुमार द्वारा निर्देशित की गई है।

(9) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार अपीलकर्ता पानीपत में मिट्टी के तेल का डीलर था। प्रदीप कुमार के पास से मिट्टी के तेल के पांच ड्रम बरामद होने का आरोप है, जिसे बाद में बरी कर दिया गया है। प्रदीप कुमार द्वारा इस आशय का बयान कि मिट्टी का तेल याचिकाकर्ता का है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत प्रदीप कुमार का बयान कि मिट्टी का तेल याचिकाकर्ता का है, साक्ष्य में भी अस्वीकार्य है। यह विश्वास नहीं किया जा सकता है कि इतने सारे पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में, अपीलकर्ता घटना स्थल से भाग गया होगा।

(11) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह 12.3.1976 के हरियाणा केरोसिन डीलर लाइसेंस आदेश, 1976 की परिभाषा के भीतर एक डीलर था, (संक्षेप में - 1976 आदेश) डीलर, उक्त परिभाषा के अनुसार,

वह व्यक्ति है जो मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए खरीद, बिक्री या भंडारण के व्यवसाय में लगा हुआ है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि मिट्टी का तेल, जिसे वर्तमान समय में कथित रूप से बरामद किया जा रहा है, कालाबाजारी में बहुत कम बेचने के लिए था।

(12) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि लेखों की वसूली के संबंध में सीआरपीसी की धारा 104 का अनुपालन नहीं किया गया है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने राजस्थान **बनाम मैसर्स जे. नागपाल एंड कंपनी (आई) के फैसले पर भरोसा किया है।**

(13) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्तों को मिट्टी के तेल की बरामदगी के मामले में बरी कर दिया गया था, जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मिट्टी का तेल बिक्री के लिए था: -

1. सोहन सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2)।

2. पंजाब राज्य बनाम शाम लाल (3)।

(14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि घटना स्थल से बरामद मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बेचने के लिए था। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **हबू लाल बनाम यूटी चंडीगढ़ राज्य (4) के फैसले पर भरोसा किया है।**

(15) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्र गवाह का शामिल न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हरियाणा **राज्य बनाम लीलन राम और एक अन्य (5) पर भरोसा किया है।**

(16) राज्य के विद्वान वकील ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी उस वाहन में मौजूद था जिसमें से मिट्टी का तेल बरामद किया गया था। तथ्य यह है कि वह भाग गया, अभियोजन पक्ष के संस्करण पर अविश्वास करने का आधार नहीं है कि मिट्टी का तेल उसका नहीं था। प्रदीप कुमार (बरी आरोपी) ने पुलिस के सामने अपने बयान में और साथ ही सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि मिट्टी का तेल वर्तमान अपीलकर्ता का है। अपीलकर्ता एक डिपो धारक था और इस तरह उक्त नियंत्रण आदेश के दायरे में एक डीलर है। अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

(17) मैंने दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अपना विचारशील विचार किया है और उनकी सक्षम सहायता के साथ मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(18) मैटाडोर से मिट्टी के तेल के पांच ड्रम बरामद किए गए थे, जिसे प्रदीप कुमार आरोपी

द्वारा चलाया जा रहा था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।

- (2) 1987 (1)RCR (CrL.)316
- (3) 2000 (3)RCR (CrL.) 686 (DB)
- (4) 2008 RCR (CrL.) 71
- (5) 2006(4) RCR (CrL.) 337

ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी करने के लिए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री एकत्र नहीं की गई थी कि अन्य अवसरों पर भी वह आरोपी अनिल कुमार का तेल लेते थे। अपीलकर्ता अनिल कुमार को दोषी ठहराने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया तर्क यह है कि मिट्टी का तेल अनिल कुमार का है। प्रदीप कुमार ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में बरी आरोपी अनिल कुमार, जिसमें केरोसिन तेल के मालिक के रूप में उसका नाम नहीं दिया गया है। उन्होंने बस इतना कहा है कि वाहन का मालिक उनके साथ था और भाग गया था। अन्यथा भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जतिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य (6) में** कहा था कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दूसरे अभियुक्त के खिलाफ सह-अभियोगात्मक का बयान स्वीकार्य नहीं है। यह संभव नहीं है कि इतने पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में अनिल कुमार मौके पर चकमा दे सकते थे।

(19) बाबू लाल मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि यदि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहता है कि विचाराधीन मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण के लिए है, तो बरी किया जा सकता है।

(20) वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रदीप कुमार से बरामद मिट्टी का तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बिक्री के लिए था। अनिल कुमार द्वारा कालाबाजारी में मिट्टी का तेल बेचने के गवाह रहे राज कुमार (पीडब्लू-2) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। किसी अन्य गवाह ने यह नहीं कहा है कि उसने अनिल कुमार को काला बाजार में मिट्टी का तेल बेचते देखा है। इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष ने यह रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि मिट्टी के तेल को उसका डिपो जारी किया गया था।

(21) अन्यथा भी अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मिट्टी के तेल को सफ़ीदों से पानीपत ले जाया जा रहा था। याचिकाकर्ता पानीपत में डिपो होल्डर था। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए याचिकाकर्ता को आवंटित मिट्टी का तेल पानीपत में वसूली की तुलना में बेचा गया होता। अभियोजन पक्ष ने प्रदीप कुमार के पास से बरामद किए गए पांच ड्रमों के स्रोत का पता लगाने की कोशिश नहीं की है।

(22) सोहन **सिंह के मामले (सुप्रा)** में आरोपियों को बरी कर दिया गया जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मिट्टी का तेल बिक्री के लिए था।

(23) हरियाणा राज्य बनाम लीला रानी और अन्य मामले (सुप्रा) के फैसले में, इस न्यायालय ने माना कि कुछ मामलों में स्वतंत्र गवाहों का शामिल न होना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र गवाहों को शामिल करना कानून का शासन नहीं है, बल्कि विवेक का नियम है। अदालतें कभी-कभी स्वतंत्र पुष्टि पर जोर देती हैं जहां अभियोजन पक्ष की कहानी अन्यथा कुछ संदेह पैदा करती है।

(24) इसलिए, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते समय भौतिक बिंदु को नजरअंदाज कर दिया है। नतीजतन, अपील स्वीकार कर ली जाती है। निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया है। आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संदेह का लाभ देने के बाद बरी किया जाता है।

इस फैसले की एक प्रति सख्त अनुपालन के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा